

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/209719/ALG/ALIGARH/3746/CFO

दिनांक : 20-07-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **MAHADEVI ACADEMY** पता **KHET NO.210,VILLAGE GUYENPUR POST BAHARPUR,ALIGARH** तहसील - **GABHANA** प्लॉट एरिया **9960 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2805.39** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
MAHADEVI ACADEMY	2	0	7.10 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **MAHADEVI ACADEMY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **24-07-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **OMPRAKASH SHARMA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **24-07-2026** से **23-07-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **MAHADEVI ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **MAHADEVI ACADEMY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : Fssso गभाना के संस्तुति पर BSAके पत्र 6761-62/2026-27dt18.7.26 के अनुक्रम मे मानचित्र मे इंगित स्कूल भवनupF&E act2022वupF&E rules2024काअनुपालन करने व 06माह मे ड्रिल करने की शर्तों केअधीन Final Nocनिर्गत किया जा रहा है जिसमे अहर्अभिकर्ता से प्रत्येक जनवरी व जुलाई माह मे भवन मे स्थापितFSव्यवस्थाओ की कार्यशीलता का प्रमाणपत्र विभाग को प्रेषित करे2विद्युत सुरक्षा निदेशालय का सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करनाअनिवार्य होगा3भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तों के अधीन रखना होगा उक्त शर्तों का उल्लंघन करने/अधिभोग/संरचना मे बदलाव करने/समय से नवीनी0न कराने/न्यायिक विवाद होने /Fire safetyअकार्यशील पाये जाने पर उक्तnocको स्वतःनिरस्त माना जायेगा

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

Mukesh Kumar

85DF6BE0BEC05EC150FCC5B7FD591D0AD712110A

24-07-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 24-07-2026

स्थान : ALIGARH

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.